संख्या-1039/15-8-2023-3040/2022

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0,
उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग :(8) लखनऊ : दिनांक --12-- दिसम्बर, 2023

विषयः- उ0प्र0 राज्य सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए लाभत्रयी नियमावली दिनांक 17.12.1965 में संशोधन/विलोपन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पेंशन(2)/4015/2023-24 दिनांक 16.05.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए लाभत्रयी नियमावली दिनांक 17.12.1965 में संशोधन/विलोपन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उ0प्र0 राज्य सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए लाभत्रयी नियमावली-दिनांक 17 अक्टूबर, 1964 शासनादेश दिनांक 17.12.1965 में निम्नलिखित बिन्दुओं में संशोधन/विलोपन किये जाने की 'श्री राज्यपाल' सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) लाभत्रयी योजना नियमावली दिनांक 01-अक्टूबर, 1964, शासनादेश दिनांक 17.12.1965, शासनादेश संख्या-5318/पन्द्रह-8-3004(2)/1974 दिनांक- 31 मार्च, 1978 प्रख्यापित/प्रभावी होने के फलस्वरूप लाभत्रयी योजना के शासनादेश दिनांक-17 दिसम्बर, 1965, का अध्याय-तीन विलोपित किया जाता है।

(2) दिनांक-31.03.2014 के बाद नियुक्त सहायता प्राप्त शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/कर्मचारी अनिवार्य जीवन बीमा योजना से आच्छादित नहीं माने जायेगें।

(3) लाभत्रयी पेंशन नियमावली 1965 के अध्याय-पॉच, नियम 17 वर्तमान उप नियम-4 के पश्चात नया उप नियम-05 बढ़ाया जाता है अर्थात-(5), यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के संबंध में पेंशन स्थापन सेवाओं और पदों पर चाहे वे अस्थायी हों या स्थायी हों, 01 अप्रैल 2005 को या उसके पश्चात प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। यह आदेश दिनांक 01.04.2005 से प्रभावी माना जायेगा।

(4) लाभत्रयी पेंशन नियमावली 1965 के अध्याय-पॉच (पेंशन) के बिन्दु संख्या-19(ख) में परन्तुक के रूप में प्रस्तावित व्यवस्था "ऐसे शिक्षक जो तदर्थ/अल्पकालिक रिक्त पद पर नियुक्ति

......2

प्राप्त करके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा-33 छ के अन्तर्गत विनियमित हुए हैं, उनकी सेवा मौलिक नियुक्ति की तिथि 22 मार्च, 2016 से ही अर्हकारी सेवा के रूप में गिनी जायेगी।"

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार लिए गये निर्णय के क्रम में तत्काल अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) वित्त नियंत्रक(मा0), उ0प्र0 प्रयागराज।
(4) समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 वेदपति मिश्र)
विशेष सचिव।